संख्या 548/IV/आठ–1–18–27विविध/2014टी0सी0

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश
3. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 05 अप्रैल, 2018**

विषय :निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर आदेश दिये जाते रहें है। उल्लेखनीय है कि निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण के सम्पर्क में आने से जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं तथा निर्माण गतिविधियों के दौरान निर्माण सामग्री के मार्ग पर अव्यवस्थित रूप से पड़े होने से दुर्घटनाओं की प्रबल संम्भावना रहती है। वर्णित स्थिति के दृष्टिगत निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण होने के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर उक्त संबंध में प्रभावी रोकथाम हेतु कार्यवाही आवश्यक है। मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है :–

(1) निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल के नियंत्रण हेतु मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा उक्त आदेशों के उल्लंघन पर व्यक्तियों/संस्थाओं पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(2) निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाय।

(3) निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरों/बॉडी की भली–भॉति धुलाई की जाय तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाय।

(4) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाय तथा सड़कों के किनारें अनियंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।

A.P.G.O

Scanned by CamScanner

(5) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाय।

(6) पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाय अपितु निर्धारित स्थालों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाय।

(7) अवैधानिक रूप से प्रयोग एवं संग्रहीत की जा रही प्लाटिक/पॉलिथीन को नियमानुसार निस्तारित किये जाने हेतु स्थल/प्रकिया का चिन्हीकरण किया जाय।

2— इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों तथा उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संबंधितों को तामील कराने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव

A.P.G.O

Scanned by CamScanner